कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraiwest@ gmail.com

पंजीकृत डाक

पंत्राक– / रामनगर, दिनांक, 2023

सेवा में,

प्रभारी
आई टी सैल
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,
85, राजपुर रोड़ उत्तराखण्ड़, देहरादून

विषय : 01 अप्रैल 2023 से 31.3.2024 तक तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आउट सौंस श्रमिकों की आपूर्ती हेतु निविदा की सूचना को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा 01 अप्रैल 2023 से 31.3.2024 तक आउट सौंस श्रमिकों की आपूर्ती हेतु निविदा आमन्त्रित की गई है। आपसे अनुरोध है कि उक्त निविदा को विभागीय बैवसाईड पर अपरोड़ करने की कृपा करें।

सलग्न : निविदा सूचना एवं अनुबन्ध की शर्ते ।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraiwest@ gmail.com

पत्रांक– 5591 / 5- 53 रामनगर, दिनांक 21-3 -2023

सेवा में,

सम्पादक,

1. अमर उजाला
2. दैनिक जागरण
3. दैनिक हिन्दुस्तान

विषयः– वाह्य स्त्रोत से मानव संसाधन सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा के संबन्ध में।

महोदय,

इस वन प्रभाग के राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु **वाह्य स्त्रोत से मानव संसाधन सेवा प्रदाता** के चयन हेतु अपने समाचार पत्रो के माध्यम से 8X8cm उत्तराखण्ड राज्य प्रकाशन (प्रदेश) पेज पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के बाद न्यूनतम (डी0ए0पी0) दरो पर बिल दो प्रतियो में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर, (नैनीताल)

वाह्य स्त्रोत से मानव संसाधन सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर, कार्यालय के लिये पंजीकृत फर्मो के माध्यम से अनुबन्ध की तिथि से 31 मार्च 2024 तक विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु इच्छुक, प्रतिष्ठित, कार्य अनुभवी एवं वित्तीय रूप सुदृढ़ मानव संसाधन आपूर्ति करने वाली फर्मो से इच्छा अभिव्यक्ति (EoL) आमंत्रित की जाती है। निविदा, द्वि–निविदा प्रणाली के अनुसार एक सील्ड कवर में टेक्नीकल बिड, दुसरे सील्ड लिफाफे वित्तीय बिड तथा इन दोनो को एक तीसरे लिफाफे में सील्ड कर उसके उपरी भाग में बडे अक्षरो मे '' **मानव संसाधन आपूर्ति हेतु टेन्डर'' लिख कर निविदा उक्त पता प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी प्रभाग रामनगर** के कार्यालय में दिनांक 15.04.2023 की सॉय 05:00 बजे तक भारतीय डाक के विभाग के माध्यम से प्राप्त हो जाए। निविदा दिनांक 22.04.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे खोले जायेगे। निविदा फार्म रू0 500.00+जी0एस0टी0 मात्र मूल्य पर किसी भी कार्य दिवस में प्रधान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बिना निविदा फर्म के निविदा मान्य नही होगी। निविदा सम्बन्धी अन्य किसी जानकारी एव निविदा शर्तो की छायाप्रति किसी भी कार्य दिवस में प्रधान कार्यालय मे सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

वाह्य स्त्रोत से मानव संसाधन सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा की शर्तें:—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर, कार्यालय के लिये पंजीकृत फर्मों के माध्यम से अनुबन्ध की तिथि से 31 मार्च 2024 तक विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु इच्छुक, प्रतिष्ठित, कार्य अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सुदढ़ मानव संसाधन आपूर्ति करने वाली फर्मो से इच्छा अभिव्यक्ति (EOL) निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा ई–प्रणाली के अनुसार एक सील्ड कवर में टेक्नीकल बिड, दुसरे सील्ड लिफाफे मे वित्तीय बिड तथा इन दोनो को एक तीसरे लिफाफे में सील्ड कर उसके ऊपरी भाग में बडे अक्षरो मे मानव संसाधन आपूर्ति हेतु टेन्डर लिख कर निविदा उक्त पता प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर दिनांक 02.052.2022 के सांय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाए। निविदा दिनांक 22.04.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे खोले जायेगे। निविदा फार्म रू0 500.00 +जी0एस0टी0 मात्र मूल्य पर किसी कार्य दिवस मे प्रधान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बिना निविदा फार्म के निविदा फार्म को निविदा मान्य नही होगा।
2. निविदा योजना की क्रिया उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0आ0स0) अनुभाग–7संख्या 41XXVII(7)/2008 देहरादून दिनांक 19 मई 2016 के नियम 25 के (ख) के आधार पर मान्य होगा।
3. यदि एक से अधिक निविदकर्ता द्वारा समान दर प्राप्त होते है तो सफल टेंडर का निर्धारण विगत 03 वर्षो मे उक्त टर्नओवर एवं संन्तोषजनक कार्य प्रणाली के आधार पर किया जायेगा। सर्विस चार्ज मजदूरी की कुल धनराशि (मूल वेतन+परिवर्तनीय महगाई भत्ता वी0डी0ए0) पर देय होगा। निविदा मे सर्विस चार्ज के प्रतिशत का वित्तीय बिड पृथक लिफाफे मे देना आवश्यक है।
4. इच्छुक फर्म/ऐजसी द्वारा किसी भी संस्थान मे अकुशल/अर्द्वकुशल/कुशल कार्मिको की आपूर्ति का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अवश्यक है।
5. फर्म/ऐजसी का ई0पी0एफ0 एंव ई0एस0आई0 कार्यालय मे रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
6. फर्म/ऐजसी का जी0एस0टी0 हेतु रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
7. फर्म/ऐजसी का आयकर कार्यालय मे रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
8. फर्म/ऐजसी द्वारा कार्मकार प्रतिकर अधिनियम/ई0एस0आई0 का पालन किया जायेगा। कोई भी दुर्घटना आदि को होना कर्मचारियो हेतु देयता फर्म/ऐजसी की होगी।
9. फर्म/ऐजसी द्वारा मुहरबंद तकनिकी निविदा के साथ रू0 20000.00 (रूपय बीस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफट/बैंकर चैक/एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय कृत बैंक गारण्टी क रूप में निविदा के साथ संलग्न किया जाये। निविदा खुलने के उपरान्त चयनित ऐजंसी द्वारा धरोहर राशि रू0 1.00 लाख का ड्राफट/बैकर चैक/एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय कृत बैक गारण्टी क रूप में जमा करने के उपरान्त रू0 20 हजार की धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
10. टेण्डर खुलने के पश्चात चयनित फर्म/ऐजसी को रू0 100000.00 (रूपया एक लाख मात्र) की धरोहर राशि जो प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल) के नाम पर निरूपित होगी, विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा टेण्डर को निरस्त समझा जायेगा।
11. निविदा स्वीकार न होने की दशा मे धरोहर राशि संबधित को वापस कर दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त कार्य न करने पर धरोहर राशि जब्त कर दुसरे निविदाकर्ता को निविदा स्वीकार करने की कार्यवाही की जायेगी। धरोहर राशि के अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
12. निविदाता /फर्म /ऐजसी का पिछले तीन वर्षो का औसतन वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से अधिक होना आवश्यक है।
13. अनुबंध की अवधि 01 अप्रैल 2023 से माह 31 मार्च 2024 तक ही मान्य होगी,
14. निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तो की प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के अधिकृत हस्तगतकर्ता द्वारा निविदा हस्ताक्षर किया जायेगा। यह निविदा के नियम एवं शर्तो के स्वीकृति के रूप मे मान्य होगा।
15. निविदा केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय को प्रेषित किया जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

अनुबन्ध की सामान्य शर्तें एंव निर्देश:

1. अनुबंध की अवधि मे सफल निविदादाता (द्वितीय पक्ष) सामान्य प्रकरणों का निस्तारण वन विभाग (प्रथम पक्ष) के नियमों के अधीन होगा तथा कार्य के दौरान उत्पन्न अन्य प्रकरणों का निस्तारण वन विभगा द्वारा व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाएगा।

2. द्वितीय पक्ष अनुबंध की शर्तों के साथ–साथ निविदा की सभी शर्तों का पालन करेगा। निविदा के नोटिस तथा निविदा की शर्तों को अनुबंध पत्र का हिस्सा माना जायेगा।

3. द्वितीय पक्ष को जिस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्धित किया गया है, को विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित/ बताये गये कार्यो का सम्पादन कराना आवश्यक होगा।

4. प्रथम पक्ष वन विभाग को किसी भी समय आवश्यकतानुसार अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस दिया जायेगा, तो ऐसी दशा में सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कते हुये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुबंध की शर्तो के अनुरुप कार्य न करने की दशा मे या अनुबन्ध अवधि समाप्त होने से पूर्व कार्य बन्द करने पर जमानत/सुरक्षा धनराशि जब्त कर दी जायेगी। अनुबन्धानुसार कार्य तथा निविदा शर्तों के अनुसार कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर जमानत/सुरक्षा की धनराशि (मूलराशि) वापस की जायेगी। इसके लिये द्वितीय पक्ष किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

7. द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रेणी के वयस्क मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही कार्य पर लगाया जायेगा।

8. द्वितीय पक्ष को अपने कार्मियो की उपस्थिति के लिये एक उपस्थिति पंजिका अनुरक्षित करनी होगी, जिसमें प्रतिदिन कार्मियों की उपस्थिति दर्शानी होगी और श्रम कानूनों के अनुसार अन्य सम्बन्धित अभिलेख भी ठेकेदार को अनिवार्य रूप से अनुरक्षित करने होंगे।

9. द्वितीय पक्ष सभी श्रम अधिनियमों (Contract Act, EPF Act) आदि समुचित अनुपालन करने हेतु प्रथम पक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा उनको आवंटित ठेका कार्य किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा अन्यथा ऐसी स्थिति मे अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जब्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।

11. वन विभाग एंव ठेकेदार/ बाह्य सेवादाता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निपटारा एकल पंचाट वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के स्तर पर किया जायेगा जो अन्तिम होगा एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में दावा, याचिका दायर नहीं की जायेगी।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना–1952 में निहित धारा–36 बी एवं अन्य धाराये जो कर्मचारियो के हित में होगी उनका अक्षरशः पालन करना होगा।

13. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित कर्मियों से कर्य एवं उनका भुगतान वन विभाग में स्थापित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

कार्य का विवरण, पारिश्रमिक व शैक्षिक अर्हताए:–

1. अकुशल/अद्धकुशल/कुशल जिसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी के श्रमिको की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है।
2. वन विभाग मे बाहय सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित कर्मियों के न्यूनतम वेतन/मजदूरी उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं/ आदेशों के अनुसार एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृतित के उपरान्त देय होगी।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान तथा कार्य अनुभव–3 वर्ष वाहन चालक हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वैध व्यावासिक लाईसेन्स तथा कार्य अनुभव कम से कम 3 वर्ष। चतुर्थ श्रेणी के कार्य हेतु कक्षा पांच उत्तीर्ण व कार्य दक्षता न्यूनतम योग्यता होगी।

Legal Aspects (न्यायिक व्यवस्था)–

1. श्रम नियम/कानूनों का विधिसम्मत् अनुपालन न किये जाने कीदशा में द्वितीय पक्ष की सर्विस चार्ज एवं सुरक्षा धनराशि को जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष (वन विभाग) के पास सुरक्षित रहेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा समय से ई0पी0एफ0 इत्यादि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कोई शुल्क/दण्ड का भुगतान करना होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित श्रमिको के द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में यदि प्रथम पक्ष को पक्षकार बनाया जाता है तो उसके खर्च व हर्जाने का सम्पूर्ण भार द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।
3. यदि ठेका कार्य के मध्य द्वितीय पक्ष के किसी कर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो नियमानुसारकर्मकार प्रतिकर अधिनियम/ई0एस0आई0 के प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति अथवा जो राशि कानूनी तौर पर देय होगी, के भुगतान का पूरा दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा।
4. ठेका कर्मियो के साथ कार्य के दौरान कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो चिकित्सा सुविधा हेतु व्यय द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन की जायेगी।
5. नियोजित कार्मियों को इस कार्यालय कार्य से बाहर भेजे जाने के स्थिति में श्रेणीवार अनुमन्य न्यूनतम यात्रा दैनिक भत्ते का भुगतान नियमानुसार द्वितीय पक्ष के माध्ययम से किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किसी कार्मिक या कर्मी को प्रथम पक्ष द्वारा अनुपयुक्त पाये जाने मैखिक या लिखित सूचना पर द्वितीय पक्ष को कार्य से हटाना होगा तथा इसके स्थान पर नया कर्मी उपलब्ध कराना होगा।

Terms of Payment (भुगतान की शर्तें)–

1. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति पर भुगतान बिल आगामी माह की प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराना होगा।
2. सर्विस चार्ज, मजदूरी की कुल धनराशि (मूल वेतन+परिवर्तनीय महगाई भत्ता) पर देय होगा ई0पी0एफ0नियोक्ता अंशदान, कार्मकार प्रतिकर/ई0एस0आई0, बोनस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा। समय –समय पर उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त आदेशानुसार संशोधन किया जा सकता है।
3. प्रथम पक्ष वन विभाग द्वारा बिलो में अंकित मजदूरी की धनराशि ई0पी0एफ0 नियोक्ता अंशदान, कर्मकार प्रतिकर तथा सर्विस चार्ज की धनराशि के योग से समय–समय पर लागू दर के अनुसार टी0डी0एस0 (आयकर) एवं टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 की कटौती कर शेष धनराशि का भुगतान बिल प्राप्त हाने पर कराया जायेगा। प्रथम पक्ष वन विभाग द्वारा टी0डी0एस0 की संकलित धनराशि विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षक मे जमा कराई जायेगी।
4. Good and Services Tax (GST) के सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी।
5. अनुबन्ध समाप्त होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम के कार्यो हेतु नियोजित अपने कार्मियो के ई0पी0एफ0 लेखा का निस्तारण नियामानुसार दो माह के करा दिया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ई0पी0एफ0 कार्यालय एवं सर्विस टैक्स कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण –पत्र उपलब्ध कराना होगा। अन्तिम माह का चार्ज एवं सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी।
6. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान में देरी होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा मजदूरो को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जायेगा।
7. अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक माह महीने श्रम के भुगतान का प्रमाण–पत्र एवं ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 कटौती कर ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 धनराशि जमा करवाकर प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कार्यालयो से सत्यापित करवाकर प्रमाण–पत्र प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर